आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

नामांतरण अपील वाद सं0 2/2020–21

सुषमा देवी प्रति कमरून निशा

आदेश

25.03.2022

अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तुत वाद आवेदक के द्वारा अंचल अधिकारी, रमना के नामांतरण वाद सं0 24/2020–21 में दिनांक 25.06.2020 को पारित आदेश के विरूद्व अपील वाद दायर किया गया। तद्नुसार उभय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया तथा अंचल अधिकारी रमना से मूल अभिलेख की मांग की गयी। अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना कागजात दाखिल किये। अंचल अधिकारी, रमना से मूल अभिलेख प्राप्त हुआ।

प्रत्यर्थी के विज्ञ अधिवक्ता लगातार कई तिथियों से अनुपस्थित है। इसलिए अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को एक पक्षीय सुना। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि अंचल रमना मौजा मडवनीयां में कंचन देवी से केवाला सं0 279 दिनांक 14.02.2019 से खाता नं0 21 प्लौट नं0 344 रकबा 0.37½ एकड़ भूमि खरीद की एवं दखल कब्जे में आई एवं उसका नामांतरण कराकर लगान रसीद कटाते चली आ रही है। प्रत्यर्थी के द्वारा एक गलत केवाला सं0 6587 दिनांक 02.01.2006 है कमरूदीन अंसारी से कराकर अभी वर्तमान में अंचल अधिकारी को मेल में लाकर गलत तरीके से नामांतरण कराकर दोहरी जमाबंदी कायम करा ली है। वास्तव में कमरूदीन अंसारी ने भी जो केवाला से भूमि खरीदा था विक्रेता की भूमि थी ही नहीं इसलिए उनके नाम नामांतरण नही हुआ। यह भूमि कंचन देवी की थी लेकिन कमल किशोर सिंह का मांग दिखाकर गलत ढंग से नामांतरण कर दिया गया जबकि नामांतरण के लिए रकबा बचा ही नहीं था तो अंचल अधिकारी के द्वारा न तो आम इस्तेहार किया गया और न हीं नामांतरण की प्रक्रिया पूरी की गई केवल टेबुल वर्क किया गया है। इस जमीन पर व्यवहार न्यायालय गढ़वा के न्यायालय में स्वत्व वाद चल रहा है उसको दर किनार करते हुए अंचल अधिकारी ने गलत तरीके से नामांतरण स्वीकृत कर दिया इस बात की जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 11.07.2020 को हुई उसी दिन नकल हेतु आवेदन दिया उसी दिन नकल प्राप्त हुआ दिनांक 12.07.2020 रविवार था इसलिए अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपील तौयार करायी जो समय सीमा के अन्दर है। अपीलार्थी अंचल अधिकारी रमना के द्वारा नामांतरण वाद सं0 24/2020–21 में दिनांक 25.06.2020 को पारित आदेश को निरस्त करने की कृपा प्रदान किया जाय।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के ओर से दाखिल कागजात निम्न प्रकार है :–

7. *केवाला सं0 279 दिनांक 15.02.2017 की छायाप्रति* ..... *17 फर्द*
8. *लगान रसीद की छायाप्रति* ..... *1 फर्द*

लगातार .....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता की ओर दाखिल कागजात एवं अभिलेख में संलग्न दस्तावेज तथा अंचल अधिकारी, रमना से प्राप्त मूल अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त पाया कि अंचल रमना मौजा मडवनिया के खाता सं0 21 प्लौट सं0 344 कुल रकबा 5.94 एकड़ भूमि का जमाबंदी रैयत कमल किशोर सिंह सरयु प्रसाद सिंह विष्णु प्रसाद कंचन देवी के नाम ऑनलाईन मांग पंजी 2 के पृष्ट सं0 19 भाग सं0 1 पर मांग चलता है। गत सर्वे के मांग पंजी 2 के पृष्ट सं0 3 भाग सं0 4 पर राम ख्याल सिंह वगैरह पिता हितनारायण सिंह के नाम से मांग संधारित है। अभिलेख में संलग्न अपीलार्थी के केवाला में अंकित वंशावली निम्न प्रकार हैं :–

हितनारायण सिंह

रामख्याल सिंह सरयु प्रसाद सिंह विष्णु प्रसाद सिंह बंकटेश्वर सिंह (मृत)

आगमणी देवी(पुत्री) कंचन देवी(पुत्री) निलिमा देवी(पुत्री)

अपीलार्थी ने प्लौट सं0 344 रकबा 37.50 डी0 भूमि केवाला सं0 279 दिनांक 15.02.2017 से बिक्रेता कंचन देवी पति उमेश्वर प्रसाद सिंह क्रय की है जिसका नामांतरण वाद सं0 24/2017–18 है से ऑनलाईन मांगपंजी 2 के पृष्ट सं0 3 भाग सं0 3 पर संधारित है एवं लगान रसीद वर्ष 2020–21 तक निर्गत है। मूल अभिलेख में संलग्न प्रत्यर्थी कमरून निशा ने खाता सं0 150 प्लौट सं0 583पुराना 344नया रकबा 48.25डी0 भूमि केवाला सं0 6587 दिनांक 02.01.2006 से बिक्रेता कमरूदीन अंसारी पिता स्व0 सोहराई अंसारी से क्रय किये है कमरूदीन अंसारी ने केवाला सं0 6587 सन् 2005 से हितनारायण सिंह के वंशज से क्रय किये है इस भूमि का हाल सर्वे के अनुसार पुराना खाता सं0 150 से नया खाता सं0 21 पुराना प्लौट सं0 583 से नया प्लौट सं0 344 बना है। का ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत कराने हेतु अंचल में आवेदन पत्र दिया गया है जिसे ऑनलाईन नामांतरण वाद सं0 24/2020–21 से ऑनलाईन मांगपंजी 2 के पृष्ट सं0 18 भाग सं0 5 पर संधारित है एवं ऑनलाईन लगान रसीद वर्ष 2020–21 तक निर्गत है।

यह वाद दोहरी जमाबंदी का नही बनता है क्योंकि उक्त प्लौट का हाल सर्वे खतियान के अनुसार रकबा 5.94 एकड़ है इसी में से नामांतरण होकर सभी क्रेतागण का लगान रसीद निर्गत है।

अतः अपीलार्थी और प्रत्यर्थी दोनों एक ही खतियानी रैयत के वंशज से भूमि क्रय किये है तथा अपने–अपने केवाला के अनुसार नामांतरण कराकर रसीद कटा रहे है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का अपील आवेदन पत्र अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाता है।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, रमना को अनुपालन हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
श्री बंशीधर नगर।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
श्री बंशीधर नगर।

Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2023.03.15 11:59:42 +05:30
Location: 192.168.1.41

Scanned with CamScanner